उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2002)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।
(2) यह 27 जून, 2002 को प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से है,

(ख) "सहयुक्त महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सहकुल किसी महाविद्यालय से है,

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य-

(एक) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है:

(दो) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है; या

(तीन) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "कोचिंग" का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में तीन या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रदान किये जाने वाले अध्यापन, शिक्षण या मार्गदर्शन से है किन्तु इसके अन्तर्गत परामर्श देना नहीं है;

(ङ) "कोचिंग केन्द्र" का तात्पर्य कोचिंग के प्रयोजनों के लिए अनुरक्षित, आरक्षित या व्यवस्थित किसी स्थान से है. किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :-

(एक) कोई संस्था:

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन मान्यता प्राप्त, पोषित या स्थापित कोई अन्य विद्यालय या महाविद्यालय;

(तीन) ललित कला, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, टंकण, आशुलिपि या उसी प्रकृति की किसी अन्य तकनीकी शिक्षा में शिक्षण प्रदान कर रहा कोई संस्थान या अकादमी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय:

(च) "सक्षम अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र के लिए या ऐसी संस्था या कोचिंग केन्द्र के सम्बन्ध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और दृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है:

(छ) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय से है;

(ज) "परामर्श देना" का तात्पर्य किसी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा विद्या के किसी क्षेत्र में यदा-कदा शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करने से है, किन्तु उसके अन्तर्गत किसी पारिश्रमिक के बदले में नियमित आधार पर शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करना नहीं है; (झ) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी संस्था के किसी कर्मचारी से है,

(ञ) "संस्था" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या नियंत्रित या उससे सम्बद्ध या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त किसी अन्य शैक्षिक संस्था से है;

(ट) किसी संस्था के संबंध में "अध्यापक" का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में शिक्षण प्रदान करने, मार्गदर्शन करने या शोध कार्य के संचालन के लिए संस्था द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत संस्था के, यथास्थिति, प्राचार्य, निदेशक या प्रधानाध्यापक भी हैं;

(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनिगम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है।

कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण

3-(1) जहां कोई ऐरा व्यक्ति, जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है कोचिंग प्रदान करने या किसी कोचिंग केन्द्र को स्थापित करने, घलाने, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने का इच्छुक है. वहाँ वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से कोचिंग प्रदान करने वाला या कोई कोचिंग केन्द्र चलाने, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिए जायंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जायगी जिसका

भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित किये जाएं।

(3) सक्षम अधिकारी अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर ली हैं. उक्त प्रयोजनों के लिए विहित रजिस्टर में उसे दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी, करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उसे रद्द या निलंबित न कर दिया जाय।

रजिस्ट्रीकरण की शर्त

4-धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह लिखित रूप में यह वचन नहीं दे देता है कि वह कोचिंग के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण के लिए संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी को न लगायेगा, न नियोजित करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण और निलम्बन

5-(1) सक्षम अधिकारी, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से, धारा 3 के अधीन दिए रजिस्ट्रीकरण का गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि-

(क) संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो, और

(ख) सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत न हो कि संबंधित व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र निलंबित या रद किया जाय, वहां कोई व्यक्ति किंसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा।

अपील

6-धारा 5 के अधीन किए गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के अपील दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेंगी जैसा वह उचित समझे।

कोचिंग पर प्रतिबंध

7-(1) कोई व्यक्ति, जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, धारा 4 के अधीन जारी कोचिंग पर विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना.-

(क) पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक के कोचिंग प्रदान नहीं करेगा,

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करायेगा।

(2) कोई अध्यापक या कर्मचारी-

(क) उस संस्था से भिन्न जिसमें वह तत्समय नियोजित है, किसी कोचिन केन्द्र या किसी अन्य स्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा,

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करायेगा, या

(ग) यथास्थिति, अध्यापक या कर्मचारी, के रूप में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारिश्रमिक या फीस स्वीकार नहीं करेगा।

निरीक्षण

8-(1) सक्षम अधिकारी, कोचिंग केन्द्र के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अपेक्षा की जाय।

(3) इस धारा के अधीन निरीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा पायी गयी त्रुटियों या अनियमितताओं को, यदि कोई हो. दर्शाया जायगा और उसकी एक प्रति कोचिंग केन्द्र के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को और एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों या अनियमितताओं को दूर करेगा।

शास्ति

9-(1) जो कोई, धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(2) जो कोई धारा 7 की उपधारा (2) के उपबंधों का जानबूझ कर उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(3) जो कोई धारा 8 की उपधारा (4) के उपबंधों का जानबूझ कर उल्लघंन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(4) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम अधिकारी के या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा

प्राधिकृत करे, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

लोक सेवक सक्षम अधिकारी होंगे

10-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत सक्षम अधिकारी को लोक सेवक समझा जायगा।

सदभावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

11-इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम या दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, सचिव, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, सचिव प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिये-

(क) “कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

आगारीही प्रभाव

13-किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की

14-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेंगी जो इस अधिनियम

शक्ति

के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

15-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

निरसन और अपवाद

16-(1) उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 एतद्वारा निरसन और निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से
ए०बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकगण कोचिंग प्रदान कर रहे थे या कोचिंग केन्द्र चला रहे थे, उनका प्रबन्ध या अनुरक्षण कर रहे थे और अपने-अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं में शिक्षण प्रदान करने में रुचि नहीं ले रहे थे। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के लिये विधि बनायी जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था. अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून 2002 को उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश सख्या 8 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरुःस्थापित किया जाता है।